कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), दौसा

क्रमांक : एफ ( ) संस्था/MGNREGA/संविदा भर्ती/2017-18/833-38 दिनांक : 21.11.2017

विज्ञप्ति

श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अनुभाग-3, जयपुर के पत्रांक एफ 11 (8) ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2016/93342 दिनांक 25.05.2017 की अनुपालना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत दौसा जिले में तकनीकी सहायकों एवं लेखा सहायकों के रिक्त पदों हेतु अनुबन्ध के आधार पर (पूर्णतया अस्थाई) पदों को भरने के लिए निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

क्र.सं.	सेवा/पद का नाम	पद स्थापन का माध्यम	योग्यता	मानदेय प्रति माह	रिक्त पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	संविदा पर	सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा तथा कृषि इंजिनियरिंग में बी.ई. या बी.टेक.	8000/- मानदेय 2000/- यात्रा भत्ता 3000/- ग्रामीण भत्ता कुल 13000/-	12
2.	लेखा सहायक	संविदा पर	बी.कॉम/सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.)/आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इन्टर)/कंपनी सैकेट्री (इन्टर)	8000/-	25

शर्तें :-

1. आवेदन करने के इच्छुक अभ्यार्थी पूर्ण विवरण सहित अपना आवेदन पत्र अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा को प्रेषित करेंगे।
2. आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने की अंतिम तिथि 15.12.2017 को सायं 5.00 बजे तक होगी। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जायेगा। डाक द्वारा भिजवाये जाने वाले आवेदन भी इसी तिथि तक कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। डाक विभाग/अन्य किसी भी कारण से होने वाले विलम्ब के लिए कार्यालय जिम्मेदार नही होगा। संबंधित अभ्यार्थी उत्तरदायी होगा एवं आवेदन पत्र में सुधार हेतु पत्र व्यवहार नही किया जावें।
3. पदों की संख्या घटाई व बढाई जा सकती है। किसी प्रकार का विवाद होने पर गठित चयन कमेटी का निर्णय मान्य होगा।
4. आवेदन पत्र में अभ्यार्थी अपने नाम, पिता/पति का नाम, जाति, लिंग, मोबाईल नं., निवास स्थान व वर्तमान पता एवं स्थायी पता, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र जो कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी हो से संबंधित स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपियां आवश्यक रूप से संलग्न करें।
5. उक्त सेवाएं पूर्णतया अनुबंध पर आधारित है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायकों की अनुबंध अवधि दिनांक 28.02.2018 तक रहेगी।
6. उक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायकों एवं लेखा सहायकों की अनुबंध अवधि 28.02.2018 के पश्चात अनुबंध अवधि राज्य सरकार के आदेशानुसार बढायी जा सकती है। सेवाएं संतोषप्रद नही पाये जाने पर किसी भी समय अभ्यार्थियों के सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
7. आवेदक की दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष तक होनी चाहिए। साथ ही राजस्थान राज्य के अ.जा/अ.ज.जा./अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) के पुरूष अभ्यार्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यार्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. (नॉन क्रीमीलेयर) महिला अभ्यार्थी के लिए ऊपरी आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। भूतपूर्व सैनिकों की ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। विधवा एवं तलाकशुदा महिला के मामले में कोई आयु (अधिवार्षिकी तक) सीमा नही होगी।
8. राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग, दिव्यांग और महिलाओं को आरक्षण कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 12.10.2015 के अनुसार नियमानुसार देय होगा।
9. ओबीसी जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा।
10. दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अर्जित तकनीकी शिक्षा की डिग्री/डिप्लोमा अमान्य होगा।
11. आवेदन पत्रों की मेरिट सूची कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी व कुल पदों के 3 गुणा अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा। बुलाये जाने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य भत्ते देय नही होगा।
12. आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थी उपलब्ध नही होने की दशा में रिक्तियों को अग्रेषित करने के स्थान पर उन्हें उपलब्ध अन्य पात्र अभ्यार्थियों से भरा जा सकेगा।